पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 12 मई 2015

परिपत्र

मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या विधि–29/(04–05) परिपत्र/2005–2006/1074 /विधि–अनुभाग, दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं परिपत्र संख्या 1595/आयु0क0 उत्तरां0/वाणिज्य कर/विधि–अनुभाग/देहरादून/ 2005–06 दिनांक 11 अगस्त, 2005 द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में, जो उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिये उत्तर प्रदेश से होकर परिवहन किया जाता है परन्तु उस माल के उत्तर प्रदेश में करमुक्त होने के कारण अथवा अन्य कारण से उत्तर प्रदेश में उसकी बहती जारी/खारिज नहीं की जाती है, ऐसे माल के उत्तराखण्ड में परिवहन पर सम्बन्धित बिल/कैश मीमो/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प को प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.03.2013 को जांच चौकियों के समाप्ति के उपरान्त परिपत्र संख्या 4965/आयु0क0उत्तरा0/वा0क/प्र0अनु0/2012–13/ देहरादून दिनांक 26 फरवरी, 2013 से उपरोक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन किया गया था।

उत्तराखण्ड में अवस्थित ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माताओं) द्वारा उत्तराखण्ड के ईंट भट्टों के फर्जी चालान/बिल पर अवैध रूप से ईंटें परिवहन किये जाने को रोकने के क्रम में राज्य के ईंट भट्टा व्यवसायियों को राज्य के भीतर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड) ईंट का परिवहन करने पर ओ0सी0 स्टैम्प अनिवार्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश से होकर परिवहन किये जा रहे माल के सम्बन्ध में उपरोक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के अतिरिक्त राज्य के भीतर ईंट निर्माताओं द्वारा ईंट का परिवहन करने पर ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. उत्तराखण्ड के ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माता इकाइयों) द्वारा राज्य के भीतर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड), उत्तर प्रदेश को गलियारा (corridor) के रूप में प्रयोग नहीं करने पर भी, ईंट का परिवहन करने की दशा में सम्बन्धित बिल/कैश मीमो/चालान पर अनिवार्य रूप से ओ0सी0 स्टैम्प का प्रयोग किया जायेगा।
2. ओ0सी0 स्टैम्प दो प्रतियों में (जिसमें एक कार्यालय प्रति होगी) व्यापारी को जारी किये जायेंगे। जारी किये जाने वाले स्टैम्प्स की संख्या एवं क्रम संख्या, कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर स्पष्ट रूप से दर्ज की जायेगी।
3. ईट भट्टा व्यवसायी/वाहन चालक दो प्रतियों में बिल/कैश मीमों/चालान लेकर परिवहन करेगा जिसमें से एक प्रति (मूल प्रति से भिन्न) पर ईंट निर्माता द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प इस प्रकार चिपकाया जायेगा जिससे वह निकले नहीं। ओ0सी0 स्टैम्प पर व्यापारी द्वारा वाहन संख्या, बिल संख्या एवं तिथि तथा व्यापारी का नाम व पता अवश्य लिखा जायेगा।
4. ओ0सी0 स्टैम्प की "कार्यालय प्रति" व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी जिस पर व्यापारी द्वारा वाहन संख्या, बिल संख्या एवं तिथि तथा व्यापारी का नाम व पता लिखा जायेगा।

पेज–2

5. यदि माल (ईंट) के परिवहन के समय सचल दल अधिकारी द्वारा इस प्रकार के वाहनों की जांच की जाती है तो वह बिल/कैश मीमो/चालान जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा किया गया हो, को रोक लेगा तथा बिल की दूसरी प्रति पर ओ0सी0 स्टैम्प का पूर्ण क्रमांक एवं उस पर अपनी मोहर व दिनांकित हस्ताक्षर सहित समय अंकित करते हुये व्यापारी/वाहन चालक को देगा।
6. सचल दल अधिकारी रोके गये बिल/कैश मीमो/चालान जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा किया गया है, को अन्य बिलों के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा कर निर्धारण कार्यालय उन बिलों को संकलित करते हुये सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावली पर दर्ज करते हुये पत्रावलित करेंगे।
7. उपरोक्त प्रकार के मामलों में जिन बिलों की सचल दल अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गयी है उन्हें सम्बन्धित व्यापारी को कार्यालय में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
8. यदि विभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार के वाहनों की जांच करने पर यह पाया जाता है कि ईंट भट्टा व्यवसायियों (ईंट निर्माता इकाइयों) द्वारा उक्त प्रकार ईंट का परिवहन करते समय वाहन में लदे माल (ईंट) से सम्बन्धित बिल/कैश मीमो/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक बार ओ0सी0 स्टैम्प जारी करते समय पूर्व प्रयोग किये गये ओ0सी0 स्टैम्प का विवरण व्यापारी से प्राप्त करेंगे और प्रयुक्त किये गये ओ0सी0 स्टैम्प से सम्बन्धित बिलों द्वारा प्रदर्शित बिक्री के अनुसार निर्णय लेंगे।

उपरोक्त निर्देश दिनांक 01.06.2015 से लागू होंगे, जिनका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 988/दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/ सचिव/ईंट भट्टा व्यवसायियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

पेज–3

8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12– **उत्तरांचल ब्रिक्स एण्ड टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 7 सहारनपुर रोड़ देहरादून।**

13–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

14–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Swastik Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

18–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

19–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

20–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

21–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

22– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

23–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

24– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

25– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

v/notification/15-16/21515/25